

## समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला आपूर्ति कार्यालय)

### आदेश

संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 5121/खाद्य, दिनांक 06.07.2015 से जहानाबाद जिला को माह जुलाई, 2015 के लिए 52 टैंकलोरी किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। आई0ओ0सी0 के अधिकृत थोक किरासन तेल विक्रेता के लिए 40 टैंकलोरी एवं बी0पी0सी0एल0 के अधिकृत थोक किरासन तेल विक्रेता के लिए 12 टैंकलोरी का कम्पनीवार कोटा आवंटित है। विभागीय आवंटनादेश के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.75 लीटर एवं शहरी क्षेत्रों में 2.25 लीटर प्रति लाभुक परिवार को देय है। उक्त आवंटनादेश में निहित निदेश के आलोक में थोक विक्रेताओं को किरासन तेल उपावंटित कर आवंटन आदेश की एक प्रति अविलंब जिलों से संबंधित आई0ओ0सी0 / बी0पी0सी0एल0 / एच0पी0सी0एल0 के डिर्वाजनल रिटेल सेल्स मैनेजर / एरिया मार्केटिंग मैनेजर तथा राज्य स्तरीय संयोजक -सह- महाप्रबंधक आई0ओ0सी0, पटना को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि तेल कम्पनीयाँ ससमय आवंटित मात्रा विमुक्त कर सकें। ऐसी परिस्थिति में विभागीय पत्रांक 4190/खाद्य दिनांक 09.07.2014 के आलोक में माह- जुलाई, 2015 के लिए मासिक उपावंटन प्रखंडवार / थोक विक्रेतावार / ठेला भेण्डर हेतु निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है।

क्र०	थोक विक्रेता का नाम	गत माह का अवशेष (लीटर में)	आवंटित मात्रा (लीटर में)	कुल लीटर में	प्रखंड /शहरी क्षेत्र का नाम	कुल उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली०) में
1.	मे० ओम ऑयल एजेन्सी घोषी	24709	240000	264709	1. घोषी	61083
					2. मोदनगंज	49060
					3. हुलासगंज(श्री स्वामी परांकुशाचार्य संस्कृतोच्च वि०हुलासगंज सहित)	49832
					4. झाको	94509.25
					<b>कुल-</b>	<b>254484.25</b>
2.	मे० दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी, मखदुमपुर	25626.50	240000	265626.50	1.मखदुमपुर(ग्रामीण)	122944.25
					2.मखदुमपुर(शहरी)	12015
					3. रतनी फरीदपुर	84900.75
					4. जहानाबाद ग्रामीण	42410.50
					<b>कुल -</b>	<b>262270.50</b>
3.	मे० ठाकुर प्रसाद, भगवती प्रसाद जहानाबाद	17012	144000	161012	1.जहानाबाद(ग्रामीण)	53644.25
					2.जहानाबाद(शहर)	54857.25
					3. ठेला भेण्डर (51X750)	38250
					4. विभिन्न थाना	821

जिला सुरक्षित

i. उपकारा जहानाबाद।	
ii. अनु० जाति कल्याण छात्रावास, जहानाबाद।	60
iii अग्निशामक, जहानाबाद	100
iv कोषागार (गार्ड)	70
v केंद्रीय निगरानी खुफिया, विभाग जहानाबाद	20
vi अल्पसंख्यक छात्रावास, जहानाबाद।	180
vii पिछड़ा वर्ग छात्रावास, एस०एस० कॉलेज के निकट।	200
viii अल्पावास गृह, जहानाबाद।	20
ix पुलिस क्लब, जहानाबाद	20
x खादी ग्रामोद्योग, जहानाबाद।	5
xi श्री यदुनन्दन महतो सेवा संस्थान, जहानाबाद।	50
xii दारुल उलुम मोहम्दीया मदरसा, पी०जी०रोड, ईदगाह, जहानाबाद।	70
xiii फैजुल गोरवा मदरसा शेख आलमचक, जहानाबाद	10
xiv कायनात इन्टरनेशनल स्कूल काको	10
xv मदरसा जामिया अरबिया ईसलामियाँ जाफरगंज जहानाबाद।	150
xvi मदरसा तामिल कुरान, नवीनगर, जहानाबाद।	10
xvii मदरसा अरबिया ईसलामियाँ जहानाबाद।	200
xviii मदरसा तामिल इस्लाम, बिचली मोहल्ला, जहानाबाद।	150

				Xix मदरसा रजाए मुस्फा, जहानाबाद	100
				XX कैथोलिक चर्च, जहानाबाद	60
				XXi कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, जहानाबाद	20
<b>कुल</b>	<b>67347.50</b>	<b>624000</b>	<b>691347.50</b>	<b>कुल -</b>	<b>149772.50</b>
				<b>कुल उपावटन</b>	<b>666527.25</b>

उपरोक्त उपावटित मात्रा के अनुसार सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ संबद्धता करते हुए उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करायेंगे एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। मंजूर उपावटित मात्रा का उठाव एवं वितरण माघमास जुलाई, 2015 तक सुनिश्चित करायेंगे।

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपावटित मात्रा का वितरण विभागीय पत्रांक 4006 दिनांक 18.05.2015 एवं पत्रांक 5293, दिनांक 09.07.2015 के आलोक में जुलाई, 2015 में उपावटित किरासन तेल का वितरण हर हाल में कूपन के आधार पर ही करेंगे एवं इसकी प्रविष्टि डिजीटाईज्ड राशन कार्ड में वितरित मात्रा प्रति माह अंकित करायेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद जिला सुरक्षित मद से विभिन्न संस्थाओं को उपावटित किरासन तेल मात्रा का भौतिक सत्यापन अवश्य करायेंगे। किसी संस्था को किरासन तेल की आवश्यकता हो तो अधियाचना पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को आदेश दिया जाता है कि जिला सुरक्षित मद से विभिन्न विहित संस्थाओं को किरासन तेल का उपावटन के अनुकूल वितरण नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्धता करते हुए करायेंगे। सभी थोक किरासन तेल विक्रेता को निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार संबद्ध प्रखंड/शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के घरों में निहित मात्रा के अनुसार विधिवत् किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे। सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को यह भी निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों के आवाटित किरासन तेल निर्धारित रोस्टर / तिथियों के अनुसार ससमय करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों से संबद्ध प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच नियमानुसार संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ममक्ष परिचय-पत्र के आधार पर किरासन तेल नोजल सिस्टम से ही आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

**पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद** ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती सभी थानों में रोशनी के लिए उपावटित मात्रा कुल 821 लीटर किरासन तेल का उठाव संबंधित थोक विक्रेता से कराते हुए तदनुसार अपने स्तर से थानों में वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक थोक किरासन तेल विक्रेता ठेला भेण्डर के भंडारण पंजी, विक्री पंजी से पूर्व आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली प्रमाण पत्र, ठेला भेण्डर का परिचय पत्र / ठेला भेण्डर का नाम, अनुज्ञापित संख्या / वाई संख्या पंचायत का नाम / प्रखण्ड का नाम / किरासन तेल विक्री की मात्रा किरासन तेल विक्री की दर एवं वितरण क्षेत्र का नाम अंकित है या नहीं देख लेने के बाद ही किरासन तेल आपूर्ति करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद को आदेश दिया जाता है कि ठेला भेण्डर द्वारा किरासन तेल वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने संबंधी विभागीय निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करायेंगे। सभी थोक किरासन तेल विक्रेताओं को आदेश दिया जाता है कि विभागीय निदेशों के आलोक में किरासन तेल जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नियमानुसार आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें पूरा निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का किरासन तेल आपूर्ति करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का ड्रम हरा रंग का हो जिस पर अमिट स्याही से जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञापित संख्या लिखा होना चाहिए।

सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को निदेश दिया जाता है कि वे जन वितरण प्रणाली विक्रेता के परिचय पत्र को देखकर ही किरासन तेल का आपूर्ति करेंगे। किसी भी परिस्थिति में विक्रेता के अलावे किसी अन्य व्यक्ति का किरासन तेल उठाव नहीं करने देंगे। इसी पूर्ण जवाबदेही थोक विक्रेता की होगी। किसी भी विक्रेता द्वारा रोस्टर के अनुसार तेल नहीं उठाने की स्थिति में विक्रेता बिना अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के रोस्टर से अलग उठाव नहीं करने देंगे।

विभागीय पत्रांक 4190 दिनांक 09-07-2014 के अंतिम कंडीका के अनुसार निर्धारित अवधि अनुपालन किरासन तेल का उठाव कराया जाना है।

अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद सभी थोक विक्रेता किरासन तेल का पूर्ण उठाव प्रत्येक माह के 25 वीं तिथि तक कराना सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा उठाव किये गये किरासन तेल की मात्रा को सूचना पट्ट में तिथिवार अवश्य अंकित करायेंगे। जिन थोक किरासन तेल विक्रेताओं द्वारा निर्धारित शत प्रतिशत मात्रा में तेल का उठाव नहीं किया जाता है उनकी सूची उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। थोक विक्रेता के यहां से जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा तेल का उठाव प्रतिनियुक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष हो तथा उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद वितरण पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी न हो सके। तत्समर्थी उठाव एवं वितरण का प्रतिवेदन भी समर्पित करेंगे।

VIII-01/1475

ज्ञापांक .....75A...../ जि0 आ0 दिनांक ...15/7/15...

प्रतिलिपि:- सरकार के उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप निदेशक(खाद्य) मगध प्रमण्डल गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयोजक-सह-महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम पटना / डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, आई0ओ0सी0 / भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद / अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद/ सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद सभी प्रखंड आपूर्ति पदा0 / सभी आपूर्ति निरीक्षक जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर एन0आई0सी0 जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी थोक किरासन तेल विक्रेता जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

जिला पदाधिकारी,  
जहानाबाद।